संख्या- 26/2450 /अडतीस-7-2014-138नरेगा/2012

प्रेषक,

गोविन्द राजू एन0एस0,
विशेष सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 01 दिसम्बर, 2014**

विषय- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत लाइन विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारियों को कार्यक्रम अधिकारी (लाइन विभाग) PROGRAMME OFFICER (LINE DEPARTMENT) नामित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार प्रदेश में मनरेगा योजनान्तर्गत क्रियाशील लाइन विभागों को ऐसी परियोजनाओं के सापेक्ष ई-एफएमएस प्रणाली के माध्यम से भुगतान करने के आदेश दिये गये हैं, जिन पर लाइन विभाग स्वंय कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसी व्यवस्था के अन्तर्गत लाइन विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारियों को निम्न शर्तों के अधीन कार्यक्रम अधिकारी(लाइन विभाग) **PO(LD)**एतददद्वारा नामित किया जाता है:-

1. ऐसी परियोजनायें, जिन पर लाइन विभाग द्वारा स्वंय कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य किया जा रहा है।
2. लाइन विभागों को ऐसे कार्य करने की अनुमति जिला कार्यक्रम समन्वयक/जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी तथा अनुमति प्रदान किये जाते समय जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि जनपद में मनरेगा योजनान्तगर्त स्वीकृत कार्यों में कम से कम 50 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायत स्तर के लिए स्वीकृत किये गये हों।
3. कार्यक्रम अधिकारी(लाइन विभाग) **PO (LD)** न्यूनतम खण्ड विकास अधिकारी के समकक्ष हो।
4. कार्यक्रम अधिकारी(लाइन विभाग) **PO (LD)** मनरेगा योजनान्तर्गत कार्य कराने के लिए ई-मस्टर रोल प्रणाली के माध्यम से अधिनियम में प्रदत्त व्यवस्थान्तर्गत जॉब कार्ड धारकों को कार्य प्रदत्त करेंगे।
5. कार्यक्रम अधिकारी(लाइन विभाग) **PO (LD)** कार्य करने के इच्छुक स्थानीय जॉब कार्ड धारक श्रमिकों का MOBILISATION ग्राम रोजगार सेवकों की भांति ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मचारी/अपने स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से करायेंगे। कार्यस्थल पर श्रमिकों की उपस्थिति इत्यादि भी दर्ज करने का कार्य भी लाइन विभाग द्वारा कराया जायेगा।
6. कार्यक्रम अधिकारी(लाइन विभाग) **PO (LD)** विभागीय तकनीकी अधिकारियों के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह कार्य का माप करायेंगे एवं प्रत्येक परियोजना की माप पुस्तिका का रख-रखाव अपने कार्यालय में करेंगे।
7. लाइन विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही मनरेगा की परियोजनाओं पर श्रम एवं सामग्री अंश का भुगतान ई-एफएमएस के मा ध्यम से प्रदेश में वर्तमान में प्रभावी व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

8. कार्यक्रम अधिकारी(लाइन विभाग) मनरेगा योजनान्तर्गत श्रम बजट के निर्माण से संबंधित समस्त स्तरों की प्रक्रिया में अपने विभाग का समुचित प्रतिनिधित्व करायेंगे, जिससे श्रम बजट का निर्धारण किये जाते समय ही कनवर्जेन्स से संबंधित परियोजनाओं का समावेश किया जा सके। कार्यक्रम अधिकारी(लाइन विभाग) **PO (LD)**, खण्ड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी से सामंजस्य बनाकर कार्य करेंगे।
9. लाइन विभागों द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत कराये जा रहे समस्त कार्य अनिवार्य रूप से मनरेगा अधिनियम/दिशा निर्देशों के अनुरूप होंगे। समस्त कार्यों के महत्वपूर्ण अभिलेखों की प्रति ग्राम पंचायत पर भी उपलबध् करायी जायेंगी।
10. मनरेगा योजनान्तर्गत क्रियान्वित की जा रही अन्य परियोजनाओं की भांति लाइन विभागों द्वारा उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का अनिवार्य रूप से सोशल आडिट कराया जायेगा।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(गोविन्द राजू एन0एस0)
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 2450(1)/अड्तीस-7-2014 तददिनांक:-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार , कृषि भवन, नई दिल्ली ।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, लाइन विभाग।
3. अपर आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5. निदेशक, सोशल आडिट, उ0प्र0, लखनऊ।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in